

(ल) क्या गत १२ वर्षों में नदी की बारा इन तटबन्धों के बीच ही रही है या बाहर गयी है?

सिक्काई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). कोसी नदी के दोनों तटबन्धों के बीच की दूरी ४ से १० मील तक है। तटबन्धों को बनाने का कार्य जनवरी, १९५५, में शुरू किया गया था और तब से नदी तटबन्धों के बीच से ही बह रही है और उसके पथ (कोर्स) में कोई अन्तर नहीं आया है। १९४६ से नदी पथ (कोर्स) में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

Double Railway Line between Bareilly and Moradabad

2983. Shri S. A. Mehdil: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to have double railway line between Bareilly and Moradabad;

(b) if so, the main features of the scheme; and

(c) whether it has been finalised?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

टी० टी० ई०

२९८४. श्री महेन्द्रनाथ सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रेलवे में टी० टी० ई० लोगों से आमदानी के लिये क्या आधार माना गया है और पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसा कोई आधार निर्धारित किया गया है;

(ख) जो टी० टी० ई० लोग दूर के मुसाफिरों के डिव्हॉं का कार्य-भार संभालते हैं और जो उस गाड़ी में स्पेशल बैच के साथ चलते हैं किन्तु वे स्पेशल बैच के नहीं होते

उनकी आमदानी कैसे निर्धारित की जाती है; और

(ग) क्या यह आमदानी टी० टी० ई० लोगों की तरफकी या पद-वृद्धि के लिये आधार मानी जाती है?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). किसी चल टिकट-परीक्षक (T. T. E.) के काम का अन्दाज उसके दस्ते (squad) की ओसत आमदानी से लगाया जाता है। जिन चल-टिकट-परीक्षकों की आमदानी दस्ते की ओसत आमदानी से बहुत कम होती है और बार-बार कम आती है उनसे जबाब तलब किया जाता है और उन्हें उचित सजा दी जाती है। जाहिर है कि उनकी तरफकी और उनका भविष्य उनके काम पर निर्भर है।

पूर्वोत्तर रेलवे और कुछ दूसरी रेलों में, दस्तों के चल टिकट-परीक्षक बारी बारी से लम्बे सफर की गाड़ियों में भेजे जाते हैं। इसलिए वहाँ चल टिकट-परीक्षकों के काम का अन्दाज दस्ते की ओसत आमदानी से लगाया जाता है। दूसरी रेलों में लम्बे सफर के डिव्हॉं के लिए अलग चल टिकट-परीक्षक रखे जाते हैं जो सिर्फ इन्ही डिव्हॉं में टिकटों की जांच करते हैं। उनके काम का अन्दाज केवल उनकी आमदानी से ही नहीं लगाया जाता। पर्यवेक्षक कर्मचारी (supervisory staff) और विशेष दस्ते भी उनके काम की कभी-कभी जांच करते रहते हैं।

Quarters for Railway Employees at Ratlam

2985. Shri T. B. Vittal Rao: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of the quarters for Railway employees constructed at Ratlam during 1956-57, 1957-58 and 1958-59 so far;

(b) whether they have been allotted and occupied; and